आवेदन पत्र पत्र संख्या 124/2021
श्योराम आदि बनाम रघुवीर आदि
निर्णय दिनांक :- 16/9/22

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

राजस्व वाद स. 124/2021

1. श्योराम पुत्र श्री गुगनराम उम्र 70वर्ष जाति मेघवाल निवासी गुगन की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. जयवीर पुत्र श्री रामकुमार उम्र 40 साल जाति मेघवाल निवासी गुगन की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

................आवेदक

– बनाम –

1. रघुवीर पुत्र हनुमानन उम्र 70 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. छोटेलाल पुत्र स्व. हनुमान उम्र 67 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. हरिसिंह पुत्र श्री हनुमान उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. धापा पुत्री लालाराम उम्र 28 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
5. मीर सिंह पुत्र श्री सहीराम उम्र 51 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
6. संजय पुत्र औमप्रकाश उम्र 25 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
7. करण सिंह पुत्र प्रसादा जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
8. कैलाश पुत्री अमीलालल पत्नी प्यारेलाल जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
9. गोपीचन्द पुत्र मिश्रीलाल जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज0)
10. नाहर सिंह पुत्र श्री प्रसादा जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
11. पूर्णमल पुत्र मिश्री जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
12. बद्री प्रसाद पुत्र प्रसादा जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
13. भतेरी पुत्री प्रसादा जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) हाल आबाद पिचानवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू(राज.)
14. मुन्नी पुत्री प्रसादा पत्नी दीपचन्द जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
15. रामनिवास पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
16. लीलाधर पुत्र मिश्रीलाल जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
17. सुभाष पुत्र प्रसादा जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
18. सावित्री पुत्री प्रसादा पत्नी भालाराम जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) हाल आबाद बिस्सा (नारनौल) तहसील [illegible] झुन्झुनू(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

19. महेन्द्र पुत्र बनवारी जाति मेघवाल निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
20. प्रदीप पुत्र मदन लाल नवीरा बनवारी उम्र 22 वर्ष जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
21. ज्योति पुत्री मदन लाल नवीरा बनवारी पत्नी मनोज कुमार उम्र 23 साल जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद चुड़ीना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
22. पुनम पुत्री मदन लाल पत्नी सन्दीप जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद चुड़ीना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
23. नारायणी पत्नी मदन लाल जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
24. किबाओ पत्नी रामनारायण पत्नी चिरंजी लाल जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
25. हरकेश पुत्र होशियार उम्र 45 साल जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
26. सन्दीप पुत्र होशियार उम्र 35 साल जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
27. तारामणी पुत्री रामप्रसाद उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
28. रघुवीर सिंह पुत्र रामप्रसाद उम्र 72 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
29. अनुप पुत्र बाबुलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
30. कोशिल्या पत्नी बाबुलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
31. दयानन्द पुत्र केशुराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
32. रमेश पुत्र नन्दलल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
33. पप्पु पुत्र नन्दलाल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
34. उषा पुत्री नन्दलाल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
35. प्रमीला पुत्री बाबुलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
36. प्रियंका पुत्री राजपाल जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
37. भगवानी पत्नी केशराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
38. मधु पुत्री राजपाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
39. रामसिंह पुत्र खेता जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
40. विजय सिंह पुत्र सहीराम जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
41. शकुन्तला पुत्री खेता जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
42. शारदा पत्नी राजपाल जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
43. सत्यवीर पुत्र खेता जाति अहीर निवासी कलाखरी [illegible] जिला झुन्झुनू(राज.)
44. सतीश पुत्र राजपाल जाति अहीर निवासी कलाखरी [illegible] मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
45. सन्तोष पुत्री खेता जाति अहीर निवासी [illegible] तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
46. सुमेर सिंह पुत्र सुभाषचन्द जाति अहीर निवासी [illegible] तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

47. सुमेर सिंह पुत्र सुभाष चन्द जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
48. हवासिंह पुत्र सहीराम जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
49. उमराव सिंह पुत्र नन्दा जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
50. चरण सिंह पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
51. पतासी पुत्री नन्दा पत्नी सज्जन जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
52. भतेरी पुत्री नन्दा पत्नी महताब सिंह जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
53. राजेश पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
54. रोहताश पुत्र नन्दा जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
55. विमला पुत्री नन्दा पत्नी रामानन्द जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज) हाल आबाद बापड़ौली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़(हरि.)
56. सुरेन्द्र पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
57. हंसकौर पुत्री रणजीत पत्नी विजय कुमार जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) हाल आबाद गोद बलाहा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़(हरि.)
58. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... अनावेदकगण

उपस्थिति –

1. श्री मुकेश चौधरी, अधिवक्ता – आवेदक की ओर से ।
2. श्री राजेश यादव अधिवक्ता अनावेदक स. 1, 2, 3, 15, 32, 46, 49, 50, 53, 54 की ओर से

शेष अनावेदकगण के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी ★ जिला झुन्झुनू (राज.) सत्यमेव जयते

प्रार्थनापत्र अं0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 16/9/22

आवेदकगण की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. कास्त अधि. संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:–

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना स्थित [illegible] जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता स. 1324 के ख.न. 3459/2037 रकबा 1.00 हैक्टर [illegible] खातेदार कास्तकार आवेदक स.1 दर्ज हैं तथा इस ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल [illegible] /2035 रकबा 1.00 हैक्टर का खातेदार कास्तकार अनावेदक स.2 [illegible] रिकॉर्ड हैं।
2. यह कि वाके ग्राम ठोठवाल तहसील बुहाना [illegible] भूमि खाता स. 120 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के ख.न. 47 रकबा 1.31 हैक्टर [illegible] खातेदार कास्तकार अनावेदक स. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

लगायत 6 दर्ज रिकॉर्ड हैं जिनका पिता हनुमान पुत्र प्रहलाद फौत हो गया हैं इसलिए
इनको पक्षकार बनाया गया हैं।

3. यह कि वाके ग्राम ठोठवाल तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता स. 86 जमाबन्दी सवंत
2075 – 78 के हाल ख.न. 48 रकबा 1.56 हैक्टर के खातेदार कास्तकार अनावेदक स. 7
लगायत 18 दर्ज हैं तथा खातेदार मूर्ती पत्नी प्रसादा फौत हो चुकी हैं जिसके विधिक
वारीसान को पक्षकार बनाया गया हैं।

4. यह कि वाके ग्राम ठोठवाल तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सवत् 2075 से 2078 के
ख.न. 39 रकबा 1.10 हैक्टर ख.न. 46 रकबा 1.004 हैक्टर के खातेदार अनोवदक स. 19
लगायत 26 दर्ज रिकॉर्ड हैं। खातेदार बनवारी पुत्र चन्द्रा फौत हो चुका हैं तथा रामनारायण
पुत्र तुला फौत हो चुका हैं जिसके विधिक वारीसान अनावेदक स. 19 से 26 हैं।

5. यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सवंत् 2075 से 2078 के
हाल खाता स. 948 के ख.न. 2039 रकबा 2.75 हैक्टर ख.न. 2040 रकबा 1.41 हैक्टर ख.न.
2142 रकबा 1.27 हैक्टर के खातेदार कास्तकार अनावेदक स. 27 व 28 दर्ज रिकॉर्ड हैं।

6. यह कि वाके ग्राम ठोठवाल तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता स. 116 जमाबन्दी सवंत्
20745 से 2078 के हाल ख.न. 32 रकबा 1.55 हैक्टर ख.न. 33 रकबा 0.41 हैक्टर ख.न.
34 रकबा 0.67 हैक्टर ख.न. 35 रकबा 1.57 हैक्टर के खातेदार कास्तकार अनावेदक स.
29 लगायत 48 दर्ज रिकॉर्ड हैं जिसमें खातेदार नन्दलाल पुत्र रघुनाथ फौत हो गया हैं
उसके विधिक वारीसान अनावेदक स. 32 से 34 हैं इसलिए इनको पक्षकार बनाया गया हैं।

7. यह कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खाता 92 जमाबन्दी सवंत् 2075 से 2078 के ख.न.
2033 रकबा 2.50 हैक्टर ख.न. 2038 रकबा 1.41 हैक्टर के खातेदार कास्तकार अप्रार्थी स.
49 से 57 दर्ज रिकॉर्ड हैं खातेदार समाकौर पत्नी रणजीत फौत हो चुकी हैं उसके विधिक
वारीसान पक्षकार बनाये गये हैं।

8. यह कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि ख.न. 3457/2035 रकबा 1.00 हैक्टर का खातेदार प्रार्थी
स. 2 हैं तथा ख.न. 3459/2037 रकबा 1.00 हैक्टर का खातेदार आवेदक स. 1 दर्ज हैं
तथा इन्ही खसरा नम्बरान के पास मे ही सरकारी स्कूल हैं जिसकी भूमि भी कुछ खातेदारो
द्वारा दी गई हैं वहा स्थित हैं तथा आवेदकगण की भूमि ग्राम बुहाना मे स्थित हैं तथा ग्राम
बुहाना व ठोठवाल की सीमा पर स्थित हैं आवेदकगण की भूमि के पूर्व मे ख.न. 2038,
2039, 48 हैं जो बुहाना की सीमा मे हैं तथा ख.न. 35, 46, 47 जो ग्राम ठोठवाल की सीमा
मे स्थित हैं इसके पूर्व मे एक आम रास्ता हैं जो ग्राम जयसिंहपुरा से कलाखरी को जाता हैं
वह स्थित हैं।

9. यह कि आवेदकगण की भूमि ख.न. 3457/2035 तथा ख.न. 3439/2037 मे जाने के लिए
कोई कटानी रास्ता नही हैं तथा आवेदकगण की भूमि मे ही सरकारी स्कूल स्थित हैं जिसके
लिए भी कोई कटानी रास्ता नही हैं ग्राम ठोठवाल स्थित भूमि ख.न. 35, 46, 47 मे से होते
हुए आगे पूर्व मे स्थित जयसिंहपुरा से कलाखरी को जाने वाले रास्ते मे से आवेदकगण
आवागमन करते आ रहे हैं। तथा ख.न. 35, 46, 47 की उतरी मेढ के सहारे – सहारे पूर्व
मे स्थित रास्ता तक प्रचलित कटानी ना होने की वजह से फसल कास्त करने पर उक्त
रास्ता बन्द कर दिया जाता हैं जिससे आये दिन ... हो रहा हैं तथा प्रार्थीगण
भूमि को कास्त नही कर सकते हैं तथा ना ही ... तक ट्रैक्टर, गाड़ी लेकर जा
सकते हैं तथा फैसल तैयार होने पर ... तक भी नही ... जाया जा सकता हैं तथा स्कूल
के लिए भी रास्ता नही हैं जिस वजह से स्कूल ... का अभाव हैं तथा पूर्व में
ख.न. 35, 46, 47 के उतरी मेढ के सहारे – सहारे ... जो मौसमी रास्ता रहा हैं उसी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अपनी भूमि को कास्त किया हैं तथा गाड़ी, टैक्टर ले जाते हैं लेकिन अब इन खातेदारो ने तारबाड़ करके रास्ता बन्द कर दिया हैं तथा आवेदकगण को अपनी भूमि को कास्त करने के लिए रास्ते की आवश्यक्ता हैं तथा आवेदकगण इस रास्ते से आवागमन करते है इसलिए आवेदक के ख.न. 35, 46, 47 की उतरी मेढ के सहारे – सहारे 12 फुट चौडा रास्ता की आवश्यक्ता हैं या ख.न. 35, 46, 47 की उतरी मेढ व ख.न. 2038, 2039 व 48 की दक्षिणी मेढ के सहारे – सहारे दोनो तरफ 6+6 फुट कुल 12 फुट चोड़ा रास्ता दिया जाना आवश्यक हैं आवेदकगण ने पूर्व मे भी रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र पेश किये हैं लेकिन कोई कार्यवाही नही होने पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।

10. यह कि. आवेदकगण ने अपनी भूमि मे मकान भी बना रखे हैं तथा अपनी भूमि को कास्त करते हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज ना होने से अनेक असुविधाओ का सामना करना पड़ता हैं आवेदकगण अपनी भूमि को समय पर कास्त नही कर सकते हैं यदि कोई खातेदार पहले अपनी भूमि को कास्त कर लेता हैं तो आवेदकगण के खेत मे कास्त नही होती हैं इसलिए आवेदक ने उक्त आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

11. यह कि आवेदकगण राज. कास्त अधि. की धारा 251(क) मे दर्ज शर्त की पालना करने के लिए तैयार हैं। तथा रास्ते के लिए डी.एल.सी. की दुगनी राशि अथवा भूमि के बदले भूमि देने को तैयार हैं।

12. यह कि आवेदकगण की भूमि ग्राम बुहाना मे स्थित हैं जो ग्राम बुहाना मे व ठोठवाल के काकड़ पर स्थित हैं तथा दोनो गांवो की सीमा पर होने से ग्राम ठोठवाल स्थित भूमि ख.न. 35, 46, 47 की उतरी सीमा तथा ख.न. 95, 71 स्थित भूमि व ख.न. 2038, 2039, 48 की दक्षिणी सीमा से रास्ता कायम किया जाना आवश्यक हैं जबकि पूर्व मे आवेदकगण ख.न. 35, 46, 47 के उतरी मेढ के सहारे से प्रचलित रास्ते से आवामन करते रहे हैं लेकिन अब इन खातेदारो ने अपनी भूमि पर तारबाड़ करने से उक्त रास्ता बन्द हो गया हैं।

13. यह कि आवेदन पत्र मे दर्ज भूमि ग्राम बुहाना व ठोठवाल मे स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने से उक्त आवेदन पत्र ससुने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

14. यह कि आवेदन पत्र 2/–रू. कोर्ट फीस पर सेवामे पेश हैं।

15. यह कि अनवेदक स. 58 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं।

16. यह कि आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा भी पेश किया हैं जिसको मार्क ए से बी रास्ता दर्शाया गया हैं जहा से आवेदकगण रास्ता चाहते हैं।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाके ग्राम बुहाना में स्थित आवेदकगण की भूमि ख.न. 3457/2035 व ख.न. 3459/2037 के लिए ग्राम बुहाना मे स्थित भूमि ख.न. 2038, 2039, 48 की दक्षिणी सीमा से 6 फिट तथा ग्राम ठोठवाल स्थित भूमि ख.न. 35, 46, 47 की उतरी सीमा मे से 6 फुट कुल दोनो तरफ 12 फुट चौड़ा रास्ता पूर्व मे स्थित जयसिंहपरु से कलाखरी को जाने वाले रास्ते तक राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज किया जाकर अमल दरामद किया जावे। अथवा ख.न. 35, 46, 47 के उतरी सीमा के सहारे – सहारे पश्चिम से पूर्व मे स्थित [illegible] चौडा रास्ता कायम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] गई जिसमें से श्री राजेश यादव अधिवक्ता अनावेदक स. [illegible] 49, 50, 53, 54 की ओर से शेष अनावेदकगण के विरूद एक पक्षीय [illegible] लाई गई। अनावेदक स. 1, 2, 3, 15, 32, 46, 49, 50, 53, 54 ने जवाब इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 1 गलत होने से स्वीकार नही है। ख.न. 3454/2035 भूमि ही नही हैं अविभाजित ख.न. 2035 एवं 2037 गुगनराम की खातेदारी की थी जो उसके वारीसान को उतराधिकार मे मिली हैं।
2. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 2 में गांव ठोठवाल की भूमि की खातेदारी व ख.न. स्वीकार हैं लेकिन गांव ठोठवाल दूसरा गांव हैं आवेदकगण राजस्व गांव बुहाना की सीमा मे रहना अपने आपको बताते हैं।
3. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 3 मे भूमि का विवरण व उसकी खातेदारी स्वीकार हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं।
4. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 4 में भूमि का वर्णन एवं उसकी खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होना स्वीकार हैं।
5. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 5 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि ख.न. 2039 एवं 2040 की उतरी सीमा के सहारे – सहारे मुकदमा नम्बर ख.न. 73/2017 रामस्वरूप वर्ग. बनाम रघुवीर वर्ग. के मुकदमें में धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार रास्ता दे दिया गया हैं जो मौके पर मौजूद है एव प्रचलित हैं इसलिए अब दोबारा नया रास्ता उसकी भूमि मे से नही दिया जा सकता हैं।
6. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 6 मे भूमि का विवरण एवं खातेदारी स्वीकार हैं।
7. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 7 में भूमि का विवरण एवं खातेदारी स्वीकार हैं
8. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 8 जिस भांति दर्ज हैं गलत होने से स्वीकार नही हैं भूमि ख.न. 3457/2035 एवं ख.न. 3459/2037 दोनो ही अविभाजित ख.न. 2035, ख.न. 2037 से बने हैं अविभाजित ख.न. 2041, ख.न. 2035, ख.न. 2037 ख.न. 2034 ख.न. 2036 एक ही खातेदार गुगनराम की भूमि रही हैं तथा आवेदकगण उक्त गुगनराम के ही वारीसान हैं जिन्होने सभी ने मिलकर आवेदन पत्र मु.न. 73/2017 बउनवानी रामस्वरूप वर्ग. बनाम रघवीर वर्ग. न्यायालय श्रीमानजी में पेश किया जिसमे इस आवेदन पत्र का आवेदक स. 1 मुक्दमा न. 73/2017 मे आवेदक स. 2 हैं तथा इस प्रकरण का आवेदक स. 2 मुक्दमा न. 73/2017 मे आवेदक स. 5 हैं जिन्होने मिलकर मुक्दमा न. 73/2017 किया है जिसमें उन्होने अपनी भूमि ख.न. 2035 ख.न. 2036 ख.न. 2037 ख.न. 2041 को संयुक्त रूप से कास्त करना बताया हैं अर्थात् विभाजन के बाद भी संयुक्त रूप से कास्त करना बताया है एवं ख.न. 2039 एवं 2040 की उतरी सीमा मे से अपनी भूमि मे आने जाने का सुखाधिकार बताकर आवेदन किया हैं जिसमे अनावेदक स. 28 जो मुक्दमा न. 73/2017 मे अनावेदक स.1 हैं उसने अपनी भूमि मे से रास्ता भी दे दिया हैं जो मौके पर मौजूद है इसलिये अब वही आवेदकगण पुनः ख.न. 2038, खन. 2039, ख.न. 2040 मे से एवं गांव ठोठवाल स्थित भूमि ख.न. 35, 46, 47 मे से दूसरा रास्ता की मांग नही कर सकते है ना ही उन्हे दूसरा रास्ता दिया जा सकता हैं। मु.न. 73/2017 में भी कलाखरी से जयसिंहपुरा जाने वाले रास्ता से ही ख.न. 2039 व 2040 मे से रास्ता की मांग की है जो रास्ता दे दिया गया है इसलिए अब पुनः नया रास्ता नही [illegible] हैं।
9. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 9 गलत [illegible] है आवेदकगण कभी ख.न. 3439/2037 के लिए रास्ता मांगा [illegible] ख.न. 3454/2035 के लिए रास्ता मांगा हैं वह भूमि ही नही [illegible] अभिवचनो के आधार पर रास्ता नही दिया ।जा सकता हैं आवेदक[illegible] की उतरी सीमा पर से रास्ता दिया जा चुका हैं जो मौके पर मौजूद हैं जब [illegible]कल्पिक सीमा पर से रास्ता दिया जा चुका हैं जो मौके पर मौजूद हैं जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नये रास्ता की मांग नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
जिला झुन्झुनू (राज.)

की जा सकती हैं ख.न. 3457/2035 व ख.न. 3459/2035 दोनो एक दूसरे से सटकर हैं ख.न. 3460/2041 तक रास्ता मौके पर मौजूद हैं ख.न. 3459/2037 से उतर मे ख.न. 3460/2041 के मध्य केवल ख.न. 3458/2037 ही मौजूद हैं ख.न. 2041 व 2037 एवं 2035 अविभाजित थें तो अकेले गुगन की खातेदारी मे थें उसकी मृत्यु के बाद आवेदकगण एवं उसके परिवार के लोगो के नाम हैं तथा मुक्दमा न. 73/2017 मे स्वयं आवेदकगण ने अपनी भूमि ख.न. 3460/2041 ख.न. 3458/2037 ख.न. 3459/2037 ख.न. 3457/2035 को संयुक्त रूप से कास्त करना बताया हैं जब ख.न. 2040 मे से जाने वाला रास्ता ख.न. 3460/2041(पटवारी ने भूल से 3470/2041 दर्ज किया हैं) तथा उपलब्ध हैं एवं बाकी भूमि संयुक्त रूप से कास्त हैं तो वहां से वे अपने खेतो मे आसानी से जा सकते हैं ख.न. 2039 व 2040 मे से एक रास्ता उतरी सीमा पर से दिया गया हैं जो प्रचलित हैं एवं राजस्व रिकॉर्ड में काटने मे सहमति भी हो चुकी हैं। जो मौके पर भी उपलब्ध हैं तो अब दूसरा रास्ता उसी भूमि मे से नही दिया जा सकता हैं आवेदकगण ने सभी तथ्य झूठे दर्ज किये हैं गांव ठोठवाल दूसरा राजस्व गांव हैं बुहाना दूसरा राजस्व गांव हैं इसलिये गांव ठोठवाल की भूमि मे से नया रास्ता कायम नही किया जा सकता हैं रास्ता ख.. 2039 एवं 2040 गांव बुहाना की राजस्व सीमा मे से ख.न. 3460/2041 तक दिया जा चुका हैं तथा स्कुल के लिये रास्ता का धारा 251(क) रास्थान कास्तकारी अधिनियम मे प्रावधान नही हैं ना ही आवासीय मकानो के लिये धारा 251(क) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम मे प्रावधान हैं।

10. यह कि आवदेन पत्र का खण्ड न. 10 गलत होने से स्वीकार नही हैं आवेदकगण ने आवासीय मकानो के लिए रास्ता की मांग की हैं आवासीय मकानो के लिए रास्ते के धारा 251(क) राज. कास्त.अधिनियम मे कोई प्रावधान नही हैं जहां तक खेतो के लिए रास्ता का प्रश्न हैं ख.न. 2039 एवं 2040 की उतरी सीमा पर से रास्ता दिया जा चुका हैं एवं मौजूद हैं इसलिए जब पहले से वैकलिप्क रास्ता उपलब्ध हैं तो नया रास्ता नही दिया जा सकता हैं।

11. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 11 गलत हैं स्वीकार नही हैं जवाबदाता/ अनावेदक स. 28 ने अपनी भूमि ख.न. 2039 एवं 2040 की उतरी सीमा पर से रास्ता ख.. 3460/2041 तक पहले ही मु.न. 73/2017 के जरिये दे दिया है तो उसी भूमि मे से उन्ही मे से किसी एक – दो व्यक्ति को पुनः रास्ता नही दिया जा सकता हैं इसलिए यह आवेदन पत्र खारीज योग्य है।

12. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 12 गलत है स्वीकार नही हैं। इस सम्बध मे विस्तृत उतर जवाब के खण्ड न. 9 व 10 मे दिया जा चुका हैं एक ही खेत की भूमि मे से धारा 251(क) राज.कास्त.अधिनियम के अनुसार रास्ते नही दिये जा सकते हैं अर्थात् इसी कारण वैकल्पिक रास्ता होने पर दूसरा रास्ता नही देने का प्रावधान बनाया गया हैं इसलिये आवेदकगण का यह आवेदन पत्र खारीज योग्य हैं।

13. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 13 गलत होने से स्वीकार नही हैं गांव बुहाना की राजस्व सीमा के लिए गांव ठोठवाल की सीमा मे से रास्ता नही दिया जा सकता हैं जब गांव बुहाना की सीमा मे से रास्ता पहले से है [illegible] रास्ता दिये जाने का प्रावधान नही हैं।

14. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 14 गलत हैं स्वीकार नही हैं।

15. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड [illegible] स्वीकार नही हैं।

16. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 16 गलत हैं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अतः जवाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं कि आवेदकगण का आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज किये जाने कि कृपा करें।

तहसीलदार बुहाना से मौका रिर्पोट मंगवाई जिस पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति पेश की गई एवं इसी न्यायालय के निर्णय मु.न. 73/2017 बउनवानी रामस्वरूप आदि बनाम रघुवीर आदि धारा 251(क) राज. कास्त. अधिनियम के निर्णय दिनांक 25.03.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई तथा उक्त मुक्दमें में प्राप्त मौका रिर्पोट दिनांक 27.08.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश की गई । आवेदक द्वारा आपत्ति का जवाब पेश किया एवं निवेदन किया कि उन्होने जो पूर्व मे आवेदन किया था उसको प्रत्याहारित कर लिया था। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं पूर्व के निर्णय एवं वर्तमान आवेदन पत्र मे प्रस्तुत मौका रिर्पोट का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय मे पूर्व में आवेदन पत्र मु.न. 73/2017 बउनवानी रामस्वरूप आदि बनाम रघुवीर आदि पेश किया गया था जिसमें उन्होने ख.न. 2041/1 , 2035/3, 2034, 2036 , 2037/2, 2041/2, 2037/3 , 2035/1, 2037/1 का अपने आपको रिकॉडेड खातेदार होते हुए इस भूमी पर सभी का संयुक्त रूप से कब्जा कास्त होना कथन किया एवं ख.न. 2039 व 2040 मे से रास्ता की मांग की गई जिसमें ख.न. 2039 , 2040 के खातेदार रघुवीर ने रास्ता देना स्वीकार किया तथा आवेदकगण ने संयुक्त रूप से एक ही रास्ते की मांग की गई थी । इस प्रकार आवेदक स. 1 व 2 मु.न. 73/2017 में आवेदक स. 2 व 5 के रूप मे पक्षकार थें एवं उन्होने अपनी भूमी के लिए एक मात्र प्रचलित रास्ता ख.न. 2039 व 2040 में से कथन करते हुए वही से रास्ते की मांग की गई थी तथा वर्तमान में आवेदन पत्र जिस भूमी के लिए रास्ते की मांग की गई हैं उसी भूमि के लिए मु.न. 73/2017 मे मांग की गई थी एवं इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार से जो मौका रिर्पोट मंगवाई गई जो दिनांक 27.08.2021 को पेश हुई हैं उसमें ख.न. 2039व 2040 की उत्तरी सीमा से आवेदकगण द्वारा चाही गई भूमी तक रास्ता दिया गया हैं इस प्रकार आवेदकगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद हैं। तथा तहसीलदार बुहाना की रिर्पोट दिनांक 10.02.2022 में दो अलग – अलग रास्ते प्रस्तावित किये हैं जो ग्राम ठेठवाल भूमी ख.न. 48 की दक्षिणी सीमा से एवं ग्राम बुहाना स्थित भूमी ख.न. 2039 व 2038 की दक्षिणी सीमा के प्रस्तावित किये हैं। जबकि इस भूमी के लिए ख.न. 2039 की उतरी सीमा से एवं ख.न. 2038 के उतर मे स्थित ख.न. 2040 की उतरी सीमा से पहले से रास्ता मौजूद हैं। इस प्रकार एक ही भूमि में से बार – बार रास्ते नही दिये जा सकते हैं एवं धारा 251(क) राज. कास्त.अधि. का उदेश्य भी स्पष्ट हैं कि खातेदार को उसकी कास्त हेतु रास्ते की सुविधा उपलब्ध ना होने अर्थात् रास्ता की वैकल्पिक व्यवस्था नही होने पर उसे रास्ता दिया जा सकता हैं जब उसके पास रास्ते की वैकल्पिक सुविधा पहले से मौजूद हैं तो उन्हे पुनः रास्ता उसी भूमी मे से नही दिया जा सकता हैं इस प्रकार आवेदकगण के पास पहले से अपनी भूमी में आवगमन हेतु रास्ते की वैकल्पिक सुविधा हैं जब रास्ते की उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था है तो वे नये – नये रास्ते की मांग नही कर सकते हैं तथा अपने भाईयो/ सहखातेदारो से यदि उन्होने भूमी का खाता विभाजन करवा लिया हैं तो वे इस न्यायालय द्वारा दिये गये रास्ते से अपने हिस्से मे आने वाली भूमि तक [illegible] पूर्व के खातेदारो के हिस्से मे आई भूमि में से रास्ते की नियमानुसार [illegible] आवेदकगण की भूमी मे से बार – बार नये – नये रास्ते नही दिलवाये [illegible] सकते [illegible] अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाना न्यायोचित पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

– :आदेश:–

न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण अस्वीकार कर खारीज किया जाता हैं ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 16/9/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ★ जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:39 IST
Reason: SelfAttested